N.D.H.: 28.11.2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1215 OF 2024

IN THE MATTER OF:

YADRAM SINGH ….. APPLICANT

VERSUS

DISTRICT MAGISTRATE, HAMIRPUR
AND OTHERS …. RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply on behalf of Respondent No. 9 Anand Kumar Gupta with affidavit	**1 – 6**
2.	**ANNEXURE R-1** A true copy of the Letters of intent issued in favour of the Respondent for the said lease dated 31.07.2024	**7 – 9**

Place: New Delhi
Date: 20.11.2025

Filed by:-

(GAURAV AGARWAL)
Advocate for Respondent No.09
Anand Kumar Gupta

GRV LEGAL
Advocates and Legal Consultants
O-703, Aditya Mega City,
Vaibhav Khand, Indirapuram,
Ghaziabad, U.P. NCR- 201014
Mob.:8802911392
Email. : gaurav@grvlegal.in

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1215 OF 2024

IN THE MATTER OF :

YADRAM SINGH ....APPLICANT

VERSUS

DISTRICT MAGISTRATE, HAMIRPUR AND OTHERS .....RESPONDENTS

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 9
ANAND KUMAR GUPTA

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the instant Original Application is pending before this Hon'ble Tribunal wherein the Applicant has challenged the E-tender notice dated 14.06.2024 for district Hamirpur for for sand/ morrum mining for a short period of six months.

NOTARY A. K. Tiwari (U.P.) 21.02.20 GOVT. OF INDIA

2. That the Applicant herein has sought a relief of (i) quashing and setting aside e-tender notice dated 14.06.2024 for District Hamirpur, U.P., and (ii) restraining Respondent state from issuing any notice without valid DSR.

PRELIMINARY OBJECTION

3. That the answering Respondent is a holder of LOI for a lease for period of six months at Tehsil Hamirpur, Vill Beri, Khand No. 23/26, area 60 acres. LOI for aforesaid leases was issued to the answering Respondent on 31.07.2024 and consequently, it has also deposited the requisite amount of advance royalty. A true copy of the Letters of intent issued in favour of the Respondent for the said lease dated 31.07.2024 is **ANNEXURE R-1**.

4. That at the outset the contents of the Original Application are not admitted and denied. The answering Respondent submits that there has been no infirmity in issuance of the e-tender notice by the Respondent state. Pursuant to the e-tender notice the answering Respondent has submitted his bid wherein he was declared successful and consequently a LOI was also issued to him on 31.07.2024.

5. That it is pertinent to mention here that the responsibility of undertaking the preparation of DSR etc. before e-tender auction lies on the Respondent state. It is, however, submitted that affidavit filed by the District Magistrate, Hamirpur states at pg 427 in par 6 and 7 that the vacant area advertised for lease was a part of the earlier DSR. Hence, the e-tender of the lease in question is not without a valid DSR. The relevant para 6 and 7 are reproduced as under :

> "6. That the District Survery Report for District Hamirpur dated 23.11.2017 was prepared in terms of the MOEF notification dated 15.01.2016 and 20.01.2016 and the Sustainable Sand mining Guidelines. In the said DSR 183 new vacant sand mining area were approved.
>
> 7. That 183 sand mining areas, an amendment was made and, thereafter, aproaisal was done. That 15 vacant sand areas which were advertised in E-tnder dated 14.06.2024 were taken from amended DSR dated 25.02.2019."

NOTARY A. K. Tiwari Advocate Kanpur Nagar (U.P.) Regd. No. 21402/2020 GOVT. OF INDIA

7. That in light of the submission made by the District Magistrate, Hamirpur it is clear that the impugned e-tender notice dated 14.06.2024 in respect of 15 leases was made in pursuance of the earlier DSR amended in 2019.

8. That it is relevant to mention here that SSMG 2016 as well as EMGSM 2020 does not provides any validity period for

the District Survery Report. It is further submitted that the provision regarding the validity of the District Survery Report is provided in Appendix X of Environment impact Assessment Notification 2006 as amended. However, it is relevant to submit that the said EIA Notification also does not provides for any expiry of validity period, but merely mentions that the DSR shall be updated every five years. Relevant part is reproduced as under:

> "The District Survey Report shall form the basis for application for environmental clearance, preparation of reports and appraisal of projects. The Report shall be updated once every five years."

NOTARY
A. K. Tiwari
Advocate
Kanpur Nagar (U.P.)
Regd. No.
21402/020
GOVT. OF INDIA

9. That considering the aforesaid provision of law it is incorrect to say that the earlier DSR which was amended in 2019 has expired. The mere requirement in law is to update the same in accordance with the law. Thus, the DSR was very much in existence as on the date of issuance of impugned e-tender notice dated 14.06.2024.

10. That it is further evident from the affidavit of the District Magistrate, Hamirpur that as per the requirement in law the DSR was updated. The DSR was updated on 21.04.2024 and the leases advertised in impugned e-tender was also included in the updated DSR. Para 17 of the affidavit of the District Magistrate Hamirpur clearly mentions that :

> "17. That the fifteen area which were advertised in tender dated 14.06.2024 duly approved in the new DSR."

11. That without prejudice to the submission made above the answering Respondent further submits that Applicant has challenged the e-tender notice and not the Letter of intent issued in favour of the answering Respondent in the present OA. As e-tender notice has already been acted upon, no effective relief is available to the Applicant. The Letter of intent was granted to the answering Respondent on 31.07.2024. Hence, the original application deserves to be dismissed on this ground.

12. That further submitted, the answering Respondent is only a holder of LOI and has not started mining work. This Court has vide order dated 14.10.2024 has already stayed any mining operation pursuant to the impugned e-tender notice.

13. That at this stage it is necessary to appreciate that the LOI also mentions at serial no. 8 of the conditions that in case there is any changes in the DSR, then the same will be acceptable to the LOI holder. Hence, the updated DSR is clearly applicable to the answering Respondent.

NOTARY A. K. Tiwari Advocate Kanpur Nagar (U.P.) Regd. No. 21402/20 GOVT. OF INDIA

14. That at this stage the updated DSR is available and the lease granted to answering Respondent is part of the same. The answering Respondent will apply for environment clearance only on the basis of the updated DSR. Thus, there is no violation of the EIA notification as amended or of the Sand Mining guidelines of 2016 and 2020.

15. That it is lastly stated the answering Respondent is not at fault and has taken part in the e-auction as a bonafide person. He has also deposited huge amount of advance royalty. The said amount is deposited with the Respondent since July/August 2024. The answering Respondent has incurred huge interest liability over the same. Thus, cancellation of e-tender at this stage will only have the effect of penalising the answering Respondent without any fault on his part. Thus, the answering Respondent deserves sympathetic consideration of present case.

16. That the answering Respondent submits that he will commence his mining operation only after obtaining all the necessary approvals and will abide with any additional condition as may be imposed by this Tribunal.

17. That in the light of the reply/objections made in the preceeding paragraphs of this affidavit, Original Application of the Applicant deserves to be dismissed without any relief.

NOTARY
A. K. Tiwari
Advocate
Kanpur Nagar (U.P.)
Regd. No.
21402/02
GOVT. OF INDIA

ANAND KUMAR GUPTA
(Respondent No. 9)

Through

(GAURAV AGARWAL)
Advocate for Respondent No. 9
GRV LEGAL
Advocates and Legal Consultants
O-703, Aditya Mega City,
VaibhavKhand, Indirapuram,
Ghaziabad, U.P. NCR- 201014
Mob.: 8802911392
Email. : gaurav@grvlegal.in

6

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 1215 OF 2024

IN THE MATTER OF :

YADRAM SINGH ………APPLICANT

VERSUS

DISTRICT MAGISTRATE, HAMIRPUR AND OTHERS …..RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, ANAND KUMAR GUPTA, aged about 55 years, Son of Late Shri Laxmi Narayan Gupta R/o Maharajpur, Kanpur Nagar, District Kanpur, Uttar Pradesh- 209402, do hereby state on solemn affirmation as under:-

1. That the deponent is the Respondent No.9 in the present Original Application as such I am well conversant with the facts and circumstances of the present case and hence, competent to swear this affidavit.

2. That I have gone through the accompanying Reply from para 1 to 17 and say that the contents thereof are true and correct to the best of my knowledge and belief and I believe the same to be true.

3. That the Annexure R-1 the reply are true copy of the documents.

Solemnly affirmed on this day of November, 2025 at Kanpur, U.P.

DEPONENT

VERIFICATION :

Verified at Kanpur, U.P. on this day of November, 2025 that the contents of my above affidavit are true and correct to my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Sworn before me this day by Shri........ whom the Contents of this affidavit have been read over and explained who is duly identified Sri........

A.K. Tiwari (Advocate)
Govt. Notary, Kanpur (U.P.)

NOTARY A. K. Tiwari Advocate Kanpur Nagar (U.P.) Regd. No. 21402/020 NOTARIAL GOVT. OF INDIA

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या– 255 /खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध (2024–25) दिनांक– 31.07.2024

श्री आनन्द कुमार गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता,
निवासी–महाराजपुर जनपद कानपुर नगर उ0प्र0।

आशय–पत्र

उत्तर प्रदेश शासन के भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के शासनादेश संख्या–781/86–2020–14(सा0)/2020 दिनांक–23.05.2020 के द्वारा नदी तल में उपखनिज बालू/मौरम बजरी आदि के स्वीकृत खनन पट्टों के समय पूर्व निरस्त हो जाने अथवा समर्पित हो जाने की दशा में उन्हें छः माह की अवधि के लिये ई–निविदा प्रणाली से व्यवस्थित करने के निर्देश दिये है। उक्त शासनादेश दिनांक–23.05.2020 के क्रम में जनपद हमीरपुर के बालू/मौरम के उपरिवर्णित रिक्त क्षेत्रों को 06 माह की अल्प अवधि के लिये खनन अनुज्ञा पर स्वीकृत किये जाने हेतु पत्र संख्या–344/खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विज्ञप्ति मौरम (2024–25) दिनांक–14.06.2024 द्वारा विज्ञप्ति जारी कर ई–निविदायें आमन्त्रित की गई थी। निर्गत विज्ञप्ति दिनांक–14.06.2024 के क्रम में बालू/मौरम खनन क्षेत्र तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी, खण्ड संख्या–23/26, रकबा–60 एकड़, मात्रा–1,94,304 घनमी0 हेतु आपने ई–निविदा में सर्वाधिक दर रु0–513/–प्रति घनमी0 की दर से निविदा दी है। आप द्वारा दी गई रु0–513/–प्रति घन मीटर की निविदा सर्वोच्च एवं सन्तोषजनक होने के आधार पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन औपबन्धिक रुप से एतदद्वारा स्वीकार की जाती है :–

शर्तेः–

1 सफल निविदादाता, ई–निविदा के अनुसार 06 माह के लिये देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रुप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि, डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करेगें। यदि सफल निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।"

2 क्षेत्र में आंकलित खनिज की मात्रा 1,94,304 घनमी0 पर आपके द्वारा ई–निविदा में दी गयी बोली रू0–513/–प्रति घन मी0 के दर से कुल रू0–9,96,77,952/–की देयता रायल्टी के मद में बनती है।

3 पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमाकंन किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रारुप–3 पर खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।

4 अनुज्ञा पत्र में विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।

5 अनुज्ञाधारक पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियायें सम्पादित करेगा।

6 जिन क्षेत्र मे पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा।

2

7 अनुज्ञाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउडेंशन न्यास (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

8 प्रश्नगत खनन क्षेत्र का जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में यदि कोई बदलाव होता है, तो वह मान्य होगा।

अनुज्ञा पत्र की शर्ते

(1) अनुज्ञाधारक नियम–36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। अनुज्ञाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रुप से रख–रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रुप में अनुरक्षित रखेगा। अनुज्ञा पत्र धारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

(2) अनुज्ञाधारक प्रत्येक वाहन को सही विवरण सहित ई–एम0एम0–11 जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आरएफआईडी स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली–2021 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

(3) अनुज्ञाधारक 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नही करेगा।

(4) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन कार्य नही किया जायेगा। अनुज्ञाधारक द्वारा सुरक्षा मानको के अनुसार खनन संक्रिया किया जायेगा।

(5) नदी की जल धारा से सेक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नही किया जायेगा।

(6) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहॉ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहॉ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

(7) यदि अनुज्ञाधारक द्वारा नियमों व खनन अनुज्ञा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र, खनन योजना, आदि की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो अनुज्ञा पत्र धारक को अपना मामला बतानें की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र समाप्त किया जा सकता है।

(8) नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के परिणामस्वरुप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किया जायेगा।

(9) अनुज्ञा पत्र धारक को खनन क्षेत्र में पहुंच मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा तथा यदि तृतीय पक्ष द्वारा कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है, तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(10) अनुज्ञा पत्र धारक को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 यथा संशोधित एवं सुसंगत शासनादेशों एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों को अक्षरशः पालन करना होगा।

(11) स्वीकृत क्षेत्र में स्थायी सीमा स्तम्भ लगाने के बाद ही खनन कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।

(12) खनन अनुज्ञा से निकाले गये खनिज का अभिवहन वन विभाग की लिखित सहमति के बिना वन मार्ग से नहीं किया जायेगा।

(13) स्वीकृत खनन अनुज्ञाधारक क्षेत्र के भीतर निजी भूमि होने की दशा में अनुज्ञाधारक भूमि के स्वामी को नियम–68 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान करेगा।

(14) अनुज्ञा पत्र समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक को अन्तरित किये जाने में अनुज्ञा पत्र धारक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(15) पानी रोकथाम और नियन्त्रण प्रदूषण अधिनियम–1974 और वायु रोकथाम और नियन्त्रण प्रदूषण अधिनियम–1981 के तहत C.T.O पानी और वायु का प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन कार्य चालू किया जायेगा।

(16) खनन अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने उपरान्त जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित आंकलित उपखनिज की मात्रा व खनन स्थल की सीमाओं में किसी प्रकार के संशोधन किये जाने की मांग स्वीकार नही की जायेगी।

अतः आपसे अपेक्षा है कि विषयगत खनन अनुज्ञा पत्र (छः माह) के अधीन देय सम्पूर्ण धनराशि रू0–9,96,77,952/–का 50 प्रतिशत धनराशि रु0–4,98,38,976/–में से अर्नेस्ट मनी के रुप में जमा धनराशि रु0–1,45,72,800/–(डीडी) को समायोजित कर शेष धनराशि रु0–3,52,66,176/–आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर निर्धारित लेखाशीर्षक (0853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 800–अन्य प्राप्तियां और 01–अन्य प्राप्तियां) में जमा करें। उक्त धनराशि www.rajkosh.up.nic.in पर जाकर आनलाइन भी जमा की जा सकती है तथा धनराशि जमा होने के उपरान्त चालान की प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि रु0–4,98,38,976/–, देय डी0एम0एफ0 तथा टी0सी0एस0 की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना होगा। यदि नियत अवधि में देय धनराशि जमा नहीं की जाती है तब आपके द्वारा बयाने के रुप में जमा की गयी धनराशि रू0–1,45,72,800/–को, राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा, जिसके लिये सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

31/07/21
(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

संख्या– /तद्दिनांक–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।

जिलाधिकारी
हमीरपुर

//TRUE COPY//